न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 477/2015

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मैसर्स निरमा लिमिटेड निम्बोल, मुख्यालय आश्रम रोड़ अहमदाबाद (गुजरात) हाल ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण जरिये अधिकृत प्रतिनिधि परिक्षित खिड़ीया पुत्र कैलाशदान जाति चारण, विधि अधिकारी मैसर्स निरमा लिमिटेड निम्बोल, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. पारससिंह पुत्र चिमनसिंह 2. रतनसिंह पुत्र चिमनसिंह 3. गोविन्दसिंह पुत्र चिमनसिंह 4. सुगनसिंह पुत्र चिमनसिंह 5. मदनसिंह पुत्र चिमनसिंह 6. सुमेरसिंह पुत्र मिनसिंह 7. लीलाकंवर पुत्री चिमनसिंह 8. राजूसिंह पुत्र कालूसिंह 9. पवनकवंर पुत्री कालूसिंह 10. सुमनकंवर पुत्री कालूसिंह 11. कुन्दनकंवर पुत्री कालूसिंह 12. अन्नूकंवर पुत्री कालूसिंह 13. राधाकंवर पत्नि कालूसिंह जाति–रावणा राजपूत, निवासी–निम्बोल तहसील–जैतारण, जिला–पाली 14. तहसीलदार, जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.23/11/2015

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 29/05/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी सीमेंट उत्पादन की एक प्राईवेट लिमिटेड फर्म है। इस फर्म के श्री भरत भाई मेहता असिस्टेंट जनरल मैनेजर है जो इस कंपनी के समस्त मामलों एवं कम्पनी की जायदाद के बाबत में संपूर्ण जानकारी रखते है तथा श्री भरत भाई मेहता को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर द्वारा इस कंपनी की ओर से न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने हेतु अधिकृत भी किया हुआ है। इसलिए वादी का यह वादपत्र जरिये भरत भाई मेहता के अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। राजस्व मौजा गांव निंबोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला–पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 394 रकबा 10–13 बिघा किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है। जिसके 1/2 वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार वादी है। नकल चालू जमाबंदी इस भूमि की वादपत्र के साथ पेश हैं। नकल चालू जमाबंदी इस भूमि की वादपत्र के साथ पेश है। इस वादपत्र में वर्णित खसरा नंबर की भूमि को आगे वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि में वादी से पूर्ववर्ती खातेदारी भंवरू, हुक्मा, देवा, रतना, जगदीश, जीया, पिसराज शंकर का 1/2 वां हक हिस्सा एवं खातेदारी अधिकारी थे। इन सभी खातेदारों ने अपने इस 1/2 हिस्से की भूमि अपनी जायज जरूरत हेतु बेचान करना तय कर जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 30.08.2011 को मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डींग कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि लक्ष्मणभाई पुत्र मोहनभाई सोजितरा को बेचान कर दिया था व प्रतिफल की राशि भी प्राप्त कर ली थी एवं इस भूमि का मौके पर कब्जा भी केता मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डींग कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को सौंप दिया था। नकल पंजीबद्ध बेचाननामा की प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है। भूमि के खातेदारों द्वारा मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डींग कन्स्ट्रेक्शन प्राईवेट लिमिटेड ने उक्त भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 27.09.2011 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के वादी मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड को बेचान कर दिया। व प्रतिफल की राशि प्राप्त कर ली एवं भूमि का कब्जा भी मोके पर खरीदार मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड को सौंप दिया था। इस प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। व शेष 1/2 वें हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण की है। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भी वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से दर्ज है। नकल चालू जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर आपसी सहमति से वर्षो पूर्व से यानि पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ही अलग अलग दो भागों में बंटी हुई थी। व इसी माफिक वादी ने उक्त खरीद के कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। परन्तु इस वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अभी तक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा होकर इन्द्राज नहीं हुआ है। लेकिन वादी ने मौके पर इस भूमि के विक्रेताओं से जमीन खरीद की थी। उसके पहले से ही पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ही उक्त विवादित भूमि अलग-अलग बंटी हुई थी। तब वादी ने मौके पर विक्रेताओं के कब्जे अनुसार ही प्रतिफल की राशि देकर के जमीन खरीद की व मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर कब्जे स्थिति अनुसार नजरी नक्शा बनाकर इस वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा है। वादी का मौजा निम्बोल में सीमेंट निमार्ण के का प्लान्ट लगाया जा रहा है। इसी प्रयोजनार्थ विवादित भूमि की किश्म भी वादी बदलवाना चाह रहा है। लेकिन उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के बीच राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व शामलाति दर्ज होने की वजह से वादी को अपनी भूमि की किश्म बदलवाने में भारी परेशानी हो रही है। वादी ने प्रतिवादी गण से भी आराजी का बंटवाड़ा कराने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण मौके पर कब्जा व मौका स्थिति अनुसार बंटवाड़ा कराने से टालमटोल कर रहे है तथा दिनांक 10.06.2015 को पारससिंह ने इस आराजी का बंटवाड़ा कराने से भी स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है। जबकि वादी अपने हक हिस्से की आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने का कानूनी रूप से अधिकारी है। तब इस अवस्था में वादी के पास यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की केवल राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व सामलाति है। लेकिन मौके पर बंटवाडा हो रखा है। एवं मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा है। प्रतिवादीगण झगड़ालु प्रवृति के है। जो वादी के हक हिस्से की भूमि भी स्वयं ही दबा कर अपना कब्जा करना चाह रहें है। इसी नियत से आये दिन वाद विवाद कर रहे है। वादी की एक सीमेंट फर्म है जो विधिक प्रकिया अनुसार अपना कार्य करना चाह रहे है। जिनके कब्जे में प्रतिवादीगण जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा कर रहे है। प्रतिवादीगण, वादी द्वारा समझाने पर भी नही मान रहे है। तब ऐसी परिस्थितियों में यदि प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती लाठी लकड़ियों के बल पर वादी की कंपनी के कर्मचारियों को बेदखल कर इस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो वादी अपनी खरीदसुदा, कब्जासुदा व हकसुदा भूमि का उपयोग उपभोग करने से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें। तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेंगे जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 14 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जो बंटवाड़ा के वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं परन्तु वादपत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र श्रीमान के समक्ष अनुमति लेकर पेश किया जा रहा है। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से साथ पेश है।बिनाय वाद दिनांक 10.06.2015 को प्रतिवादीगण संख्या एक पारससिंह द्वारा उक्त आराजी का बाई मिटय एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट इंकार करने पर व सामलाति भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी देने पर बमुकाम निम्बोल तहसील जैतारण जिला-पाली में उत्पन्न हुआ है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। इस प्रकार वकील वादी ने वादपत्र पेश कर माफिक वाद वादी का वाद डिक्री किये जाने की इस्तदूआ की।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का पेश किया कि वादी कम्पनी की और से अधिकृत अधिकारी भरत भाई

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मेहता के स्थान पर परिक्षीत खिड़ीया पुत्र कैलाशदान किया जावे एवं वादी कम्पनी का नाम मैसर्स सिद्धि विनायक सीमेन्ट प्रा. लि. के स्थान पर मैसर्स निरमा लिमिटेड किये जाने की इस्तदूआअ की। प्राथना पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी ने फहरिश्त मय दस्तावेजात पेश किये यथा वर्तमान जमाबन्दी एवं नजरी नक्शा, सा.मि. किया गया। वकील वादी ने वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं। वकील वादी ने बहस में जाहरि किया कि माफिक वादपत्र एवं प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार वादी का वाद प्रा. डिक्री किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहता हैं। लिहाजा वादी के माफिक राजस्व रेकर्ड हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा गांव निंबोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला-पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 394 रकबा 10-13 बिघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि शामलाती स्थित हैं। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/264 दिनांक 27/02/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/776 दिनांक 04/02/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा गांव निंबोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला-पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 394 रकबा 10-13 बिघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि शामलाती स्थित हैं का भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाऊस आश्रम रोड़ अहमदाबाद खातेदार	394	5-06	बा.दो.	1.64
2	पारससिंह, रतनसिंह, गोविन्दसिंह, सुगनसिंह, मदनसिंह, सुमेरसिंह, लीलाकंवर पिता चिमनसिंह राजूसिंह, पवनकंवर, सुमनकंवर, कुन्दनकंवर, अनुकंवर पिता कालुसिंह राधाकंवर पत्नी कालुसिंह कौम रावणा राजपूत सा.देह खातेदार।	394/1	5-07	बा.दो.	1.66
		2	10-13	-	-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/05/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner